फास्फोराइट/सक्र फास्फेट: झाबुआ, सागर और छतरपुर जिलों में 21.476 एम० टी०।

एस्बेसटोस: टीकमगढ़ जिले में 6000 टन।

बैराइट्स: देवास, धार, शिवपुरी, सीधी, और टीकमगढ़ जिलों में 0.269 मिलियन टन।

कैल्साइट: झाबुआ और खारगांव जिलों में 0.416 मिलियन टन।

चाइनाक्ले: बेतुल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दतिया, दुर्ग, ग्वालियर, होसंगाबाद, जबलपुर, खारगांव, नरसिंगपुर, रायसेन, राजनन्दगांव, सतना, शहडोल और सीधी जिलों में 17.806 मिलियन टन।

डोलोमाइट: बालाघाट, सिओनी, बस्तर, बेतुल, बिलासपुर, छिन्दवाड़ा दुर्ग, होसंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, मेंदला, नरसिंहपुर, रायगढ़ और सिओनी जिलों में 2242.923 मिलियन टन।

फायरक्ले: बेतुक, बिलासपुर, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, राजनन्दगांव, शहडोल और सीधी जिलों में 120.693 मिलियन टन।

फ्लोराइट: राजनन्दगांव में 0.318 मिलियन टन।

ग्रेफाइट: बेतुल और सीधी जिलों में 0.013 मिलियन टन।

लाइमस्टोन: बालाघाट, बस्तर, बिलासपुर, दमोहदर, दुर्ग, होसंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ खारगांव, मन्दसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनन्दगांव, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, शहडोल और सीधी जिलों में 12927.94 मिलियन टन।

क्वार्टस और सिलिका सैंड: बालाघाट, देवास, धार, दुर्ग, जबलपुर, खारगांव, मोरेना, रीवा, और शहडोल जिलों में 203.49 मिलियन टन।

सिलेमेनाइट: सीधी जिले में 101600 टन।

टाल्क/स्टीटाइट सोपस्टोन: धार, दुर्ग, जबलपुर, झाबुआ और नरसिंहपुर जिलों में 6.218 मिलियन टन।

कोयला: जोहिल्ला, उमरिया, पंच-कनहन-तांबा, पाठाखेरा, गुरगुण्डा, मोहपानी, सोहगपुर, सिंगरौली, सोनहार, झीलिमिली चिरीमिरी, बिसरामपुर लखनपुर, हसदो-अरन्द, सेनदुर्ग, कोरबा, मण्डरायगढ़ और तातापानी-रामकोला कोयला क्षेत्रों में 41828.90 मिलियन टन।

(ग) भंडारों का राज्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और निजी संस्थाओं द्वारा विदोहन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के आकर्षक निवेश द्वारा खनिज संसाधनों के विदोहन को सुविधाजनक बनाने के विचार से, सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 घोषित की है और उसके अध्याधीन बनाए गए नियमों और खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 में अनुवर्ती परिवर्तन किया गया है।

Reserves of Asbestos in Rajasthan and Gujarat

5710. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) what are the total reserves of asbestos in Rajasthan and Gujarat;

(b) the estimated national and international price thereof;

(c) whether this minerals is included in unreaserved list;

(d) if so, the number of total asbestos mines which have been given on lease;

(e) the total value of asbestos imported each year;

(f) whether the production of asbestos increased during the last three years; and

(g) if so, the year-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (g) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Letters Received From M.Ps

5711. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) the number of letters written by the Members of Parliament to his Ministry during the period from 1st April, 1994 to 31st March, 1995;

(b) the number of letters acknowledged out of them;